

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना**

सूरजपुर, दिनांक 13/04/2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/16-17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

-:: अनुसूची ::-

भूमि का प्रकार					धारा-12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सूरजपुर	रामानुजनगर	पोंड़ी प.ह.नं. 1	20	0.064	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग-सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)	गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन
			14	0.004		
			15	0.056		
			16	0.052		
			42	0.084		
			50	0.040		
			52	0.060		
			54	0.004		
			55	0.032		
			77	0.124		
			104/1	0.008		
			67	0.068		
			70	0.052		
			74	0.116		
			71	0.004		
			78	0.040		
			79	0.032		
			80	0.004		
			103	0.020		
			134	0.008		
137	0.088					
138	0.044					
140/1	0.048					
772	0.060					
805	0.056					
829	0.040					
132/1	0.040					
221/3	0.052					
133	0.064					
126	0.032					

			127	0.016	
			129	0.036	
			130	0.056	
			132/3	0.004	
			125	0.048	
			128/2	0.004	
			184	0.064	
			185	0.032	
			288	0.128	
			292	0.100	
			321	0.084	
			325	0.080	
			285	0.024	
			286	0.024	
			290	0.004	
			291	0.040	
			326	0.120	
			319	0.020	
			320	0.072	
			276	0.040	
			278	0.020	
			280	0.028	
			297	0.028	
			2208/287	0.004	
			284	0.004	
			822	0.016	
			826	0.028	
			827	0.020	
			828	0.012	
			830	0.032	
			831	0.048	
			788	0.052	
			838	0.040	
			773	0.048	
			777	0.020	
			778	0.008	
			843	0.072	
			331/2	0.004	
			263	0.008	
			842	0.004	
			277	0.008	
			846	0.072	
			279	0.012	
			267	0.020	
			274	0.104	
			273	0.016	
			266	0.152	
			229	0.012	
			258	0.032	

			249	0.052		
			259	0.024		
			222	0.100		
			220	0.132		
			32/1	0.032		
			32/2	0.060		
			296/2	0.024		
			296/1	0.016		
			774/1	0.010		
			774/2	0.006		
			250/1	0.036		
			776	0.004		
			834	0.004		
			835	0.004		
			836	0.004		
			837	0.008		
			840	0.032		
			250/2	0.044		
		योग :-	97	3.908		

- यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत सिंचाई परियोजनाओं की बावत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर, जिला-सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.आर.चुरेन्द्र)

कलेक्टर,

जिला-सूरजपुर

एवं पदेन संयुक्त सचिव

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग